

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/2017/1390

दिनांक...21.11.2017

### // कार्यालयीन आदेश //

म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 (ख) (1) के अनुसार कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 21.11.2017 के पद क्रमांक (अ-अ-1) पर लिये गये निर्णयानुसार प्रो0 आर.जे.राव, कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को अधिनियम में वर्णित कालावधि के लिये पुनः जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का कुलाधिसचिव (रेक्टर) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार


  
(प्रो0 आनंद मिश्रा)  
कुलसचिव

प्रति,

प्रो. आर. जे.राव,  
कुलाधिसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर।

प्रतिलिपि:-

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, 5वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. कुलाधिसचिव कार्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, समस्त अध्ययनशालायें, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. समस्त अधिकारी/अधीक्षक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
8. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
9. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
10. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

  
उप-कुलसचिव (प्रशासन)